उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-42/2017/335/37-1-2017-3(107)/2011
लखनऊ:दिनाँक: 08 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 उमर खान, पशु चिकित्साधिकारी, चोला, बुलन्दशहर के विरूद्ध 15 अगस्त, 2011 एवं 26 जनवरी, 2011 जैसे राष्ट्रीय पर्व पर झण्डारोहण न करने, पशु चिकित्सालय पर अवैध वसूली करने, पशु चिकित्सालय पर पशुओं का इलाज अप्रशिक्षित लड़कों से कराने, पशु चिकित्सालय पर समय से उपस्थित न होने आदि अनियमितताओं के लिये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-146/37-1-2012-3(107)/2011, दिनांक 18 मई, 2012 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये अपर निदेशक (गोधन), पशुपालन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र संख्या- 67/एस0टी0/अ0नि0(गो0वि0)/90/जांच(अनु0), दिनांक 5-5-2015 द्वारा उपलब्ध कराई गई। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त आरोप संख्या-1 व 2 सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पत्र संख्या-1998/37-1-2015-3(107)/2011, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 द्वारा डा0 खान का अभ्यावेदन मांगा गया। डा0 खान का अभ्यावेदन उनके पत्र दिनांक 2-3-2017 द्वारा प्राप्त हुआ।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त आरोप सिद्ध न पाये जाने के दृष्टिगत डा0 उमर खान, पशु चिकित्साधिकारी, चोला, बुलन्दशहर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एदतद्वारा श्री राज्यपाल बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-42/2017/335(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in